रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052021-227034 CG-DL-E-18052021-227034

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1801] No. 1801] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2021/वैशाख 28, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2021/VAISAKHA 28, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2021

का.आ. 1928(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पिठत धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं 03 (अ) के द्वारा ट्रांस्पेरेन्ट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है. अत: एतद्दारा निम्नलिखित आदेश करती है. नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को ट्रांस्पेरेन्ट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा:

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

2702 GI/2021 (1)

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
ट्रांस्पेरेन्ट फ्लोट ग्लास	आईएस 14900: 2018	ट्रांस्पेरेन्ट फ्लोट ग्लास- विशेषताएं

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, उनके संबंध में जारी संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/91/2018-सीआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2021

- **S.O. 1928(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Transparent Float Glass(Quality Control) Order,2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.03(E), dated the 31st December,2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Transparent Float Glass (Quality Control) Order, 2021.
 - (2) It shall come into force with effect from 1st April, 2022.
- 2. Compulsory use of Standard Mark.— The goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standard (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.—The Bureau shall be the certifying and enforcement authority for the goods or articles specified in the column (1) of the Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Transparent Float Glass	IS 14900: 2018	Transparent Float Glass–Specification

Note: For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standard including the amendment thereof notified by the Bureau from time to time, shall apply from date of such notification.

[F. No. P- 14031/91/2018-CI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.